[2026:RJ-JP:8791]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3176/2025

Ramawatar Jat S/o Tinkuram Jat, Aged About 44 Years, R/o Ghatwada, Police Station Chandwaji, District Jaipur Rural. (At Present Confined At Central Jail Gahtgate Jaipur).

----Appellant

Versus

1. State of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Tarachand Meena S/o Kaluram Meena, R/o Nagal Koju Govindgarh, Jaipur Rural, Rajasthan.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Krishan Chander Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Sarthak Chobay, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

25/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 14–ए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत यह जमानत अपील विचारण न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर जिला जयपुर (अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 249/2025 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसके तहत पुलिस थाना गोविन्दगढ़, जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 342/2024 अंतर्गत धारा 420, 406, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण)

अधिनियम में अपीलार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया गया।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। घटना की रिपोर्ट में जो तथ्य कहे गये हैं, उन्हीं तथ्यों के संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य प्रकरण दर्ज हुए हैं। एकलपीठ आपराधिक अपील संख्या 3175/2025 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा व एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14951/2025 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2025 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की अन्य प्रकरणों में जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अपीलार्थी/अभियुक्त से बरामदगी किया जाना शेष नही है, वह दिनांक 18.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक इस बात से सहमत है कि इस प्रकरण में आरोपित अपराध के समान प्रकृति के अन्य अपराधों में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत इस न्यायालय व समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। लेकिन उन्होंने अपीलार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त की जमानत अपील खारिज करने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत पीड़ित, जो अनुसूचित

जाति/जनजाति का सदस्य है, को रूपये डबल करने का झांसा देकर आपराधिक कृत्य करने के अपराध का आरोप है। अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त **रामावतार जाट पुत्र टिकूराम जाट** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपील स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता ना हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /110